# न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
## (बाल मुकुन्द असावा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
## पंचायत रिवीजन संख्याः 7/2016
## दायर दिनांकः 05.04.2016
## निर्णय दिनांक 13.01.2025

**—: अनवान :—**

हिम्मत सिंह पिता नवलसिंह जी जाति राजपूत आयु 38 वर्ष, निवासी ग्राम उमठी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज०) **— प्रार्थी/निगराकार**

**बनाम**

1. ग्राम पंचायत पीपलांत्री जरिये सरपंच/सचिव महोदय, ग्राम पंचायत पीपलांत्री, तहसील व जिला राजसमन्द (राज०)
2. श्रीमती रतन कुंवर पुत्री चतरसिंह जी पत्नी लक्ष्मण सिंह जी जाति राव आयु 52 वर्ष, निवासी महुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

**— गैर निगराकार**

**निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 पट्टा क्रमांक 40 दिनांक 20.12.2004 पत्रावली दायर संख्या 68 द्वारा ग्राम पंचायत पीपलांत्री को निरस्त कराने बाबत् ।**

**उपस्थितः—**

1— श्री श्यामसुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकार
2— श्री अब्दुल हकिम चुड़ीघर, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 अनु0
3— श्री दिग्विजय सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02

**:: निर्णय ::**

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकर ने निगरानी यॅाचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 पट्टा क्रमांक 40 दिनांक 20.12. 2004 पत्रावली दायर सख्या 68 द्वारा ग्राम पंचायत पीपलान्त्री को निरस्त कराने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत पीपलान्त्री पंचायत समिती राजसमन्द विपक्षी संख्या 2 के भाई कानसिंह पिता चतरसिंह राव वर्षों तक प्रभावशाली वार्ड पंच रहे है, तथा गांव उमठी का ठिकानेदार होकर काफी धनाढय व्यक्ति है तथा इनके नाम से 2—3 खनिज लीज भी स्वीकृत कर रखी है तथा उच्च आय वर्ग का व्यक्ति है। विपक्षी सं0 2 कानसिंह

पिता चतरसिंह जी की बहन है तथा उसका ससुराल गांव महुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर में हैं तथा विपक्षी सं0 2 उसकी शादी के बाद से उसके ससुराल गांव महुड़ा में ही अपने परिवार के साथ रहती है। विपक्षी सं0 2 के भाई कानसिंह ग्राम उमठी, तहसील राजसमन्द ने अपने प्रभाव का नाजायज लाभ उठा गलत रूप से सरकारी सार्वजनिक नाड़ी व सार्वजनिक कुंए की भूमियों पर अवैद्य रूप से अतिक्रमण करता रहता है। ग्राम उमठी की आराजी 97 किस्म नाडी रही तथा जल भराव क्षेत्र है। माह फरवरी 2016 में प्रार्थी/निगराकार ने ग्राम उमठी की आराजी नं० 97 नाडी की भूमि के सम्बन्ध में जानकारी की तथा सूचना के अधिकार में ग्राम पंचायत से इस भूमि के सम्बन्धित दस्तावेज निकलवाये तो जाहिर आया कि विपक्षी सं0 2 एवं उसके भाई ने विपक्षी सं0 1 से मिलीभगत कर फर्जीवाड़ा करते हुए आराजी नं0 97 की भूमि को आराजी नं0 235/9 की भूमि बताते हुए उपरोक्त पट्टा गलत आधारों पर पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 क–ख व 158 क–ख–ग के अन्तर्गत गलत रूप से आराजी नं0 97 किस्म नाडी की भूमि को आराजी नं० 235/9 की भूमि बताते हुए गलत पट्टा जारी किया, जिसके सम्बन्ध में निगराकार ने निम्न आधारों पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की कि विपक्षी सं0 1 द्वारा विपक्षी सं0 2 के पक्ष में जारी प्रश्नगत पट्टा जारी करने में विधितः एवं तथ्यतः भूल की है। विपक्षी सं0 2 के भाई कानसिंह काफी वर्षों से लगातार ग्राम पंचायत पीपलांत्री का प्रभावशाली वार्ड पंच रहा है तथा गांव उमठी का ठिकानेदार होकर मार्बल खनन क्षेत्र में काफी खनन लीज का मालिक है। अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर विपक्षी सं0 2 जो वार्डपंच कानसिंह की बहन है के नाम पट्टा जारी कराया है। विपक्षी सं0 2 कानसिंह की बहन है तथा उसका ससुराल गांव महुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर है व विपक्षी सं० 2 उसकी शादी के बाद से उसके ससुराल गांव महुड़ा में ही अपने परिवार के साथ रहती है। विपक्षी सं० 2 शादी के बाद से अपने पीहर गांव उमठी में नहीं रहती है। विपक्षीगण ने मिलीभगत कर ग्राम उमठी की आराजी नं0 97 किस्म नाड़ी की भूमि पर गलत रूप से आराजी नं0 235/9 की भूमि बताते हुए पट्टा जारी करा लिया जो कानूनन गलत होकर अवैद्य है। विपक्षी सं0 1 को आराजी नं0 97 किस्म नाडी की भूमि के संबंध में पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। कानूनन इस भूमि का पट्टा जारी ही नहीं किया जा सकता है। पट्टा पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 क–ख व 158 क–ख–ग के अन्तर्गत जारी करना बताया गया है। धारा 157 के अन्तर्गत का पट्टा केवल निर्मित मकान के संबंधित ही जारी किया जा सकता है, भूखण्ड के लिए नहीं। विपक्षी सं0 2 सम्पन्न, धनाढ्य परिवार की सदस्या है, विपक्षी सं0 2 का भाई कानसिंह काफी वर्षों से वार्डपंच ग्राम पंचायत पीपलांत्री का रहा है तथा विपक्षी सं0 2 अपने ससुराल गांव महुड़ा, तहसील मावली जिला उदयपुर निवास करती है। विपक्षी सं0 2 के भाई ने मार्बल खनिज 3–4 लीजें स्वीकृत है। विपक्षी सं0 2 कमजोर वर्ग की सदस्या नहीं है। विपक्षी सं0 2 का प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा। विपक्षीगण ने वार्ड पंच कानसिंह से मिलीभगत कर अनैतिक प्रभाव से आकर गलत रूप से पट्टा जारी किया, जो काबिल खारिज के है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि वर्ष 2004 में भी 02,00,000/–रू० (दो लाख रू०) से ऊपर कीमत थी। यदि निलामी में भूखण्ड विक्रय किया जाता तो ग्राम पंचायत को काफी आय होगी, मगर विपक्षी सं0 1 ने कानसिंह वार्डपंच से मिलीभगत कर प्रश्नगत पट्टा कानसिंह की बहन विपक्षी सं0 2 के नाम तथा इसी भूखण्ड के पास ही भूमि वार्डपंच कानसिंह ने अपनी पत्नी समुन्दर बाई के नाम पट्टा जारी करवा दिया, जबकि इन भूखण्डों पर 25 वर्षो से कब्जा होने की बात गलत बताई है, तथा जो गवाहान के शपथ पत्र कराये है वो दोनों विपक्षी सं0 2 के भाई कानसिंह के खेतों पर मजदूरी करते है तथा प्रश्नगत

न्यायालय जिला कलक्टर

पट्टे के भूखण्ड से करीब एक किलोमीटर दूर रहते है। उक्त पट्टे की कार्यवाही विपक्षीगण ने मिलीभगत कर ग्राम पंचायत की बेशकीमती भूमि को हड़पने के उद्देश्य से कराई है जो काबिल खारिज के है। विपक्षी सं0 2 के ग्राम उमठी, ग्राम पंचायत पीपलांत्री, तहसील व जिला राजसमन्द में रहने का शपथ पत्र दिया तथा विपक्षी सं0 2 अपने ससुराल ग्राम महुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर अपने परिवार के साथ रहती है। विपक्षी सं0 2 के भाई कानसिंह के ग्राम उमठी में तीन आवासीय मकान है, जिसमें एक मकान रेबारियों की ढाणी में माताजी के मंदिर के सामने नाजायज रूप से सार्वजनिक कुएं (कुड़ी) पर निर्मित किया गया है, दूसरा मकान देवा व मूला रेबारी के मकान के पास तथा तीसरा मकान शंकर रेबारी के मकान के पास है। विपक्षी सं0 2 ने गलत रूप से आवासीय मकान नहीं होने का झूठा कथन करते हुए गलत पट्टा प्राप्त किया है। प्रश्नगत पट्टे की पत्रावली सं0 68 एवं विपक्षी सं0 2 की भाभी यानि कानसिंह की पत्नी समुन्दर बाई के नाम की पत्रावली देखने से ही स्पष्ट है कि दोनों भूखण्ड किस प्रकार एकसाथ नाजायज लाभ प्राप्त करने एवं ग्राम पंचायत की बेशकीमती भूखण्डों को बिना निलाम किये किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए निर्मित की गई है। विपक्षी सं0 2 ने जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया वह गलत एवं झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। इस शपथ पत्र में विपक्षी सं० 2 ने यह कथन किया है कि उसके अथवा उसके परिवार को पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा कोई भूखण्ड आवंटन नहीं किया गया है, जबकि विपक्षी सं0 2 ग्राम उमठी में नहीं रहती है, बल्कि विपक्षी सं0 2 उसके ससुराल ग्राम महुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर में रहती है। विपक्षी सं0 2 के भाई कानसिंह ने इससे पूर्व ही तीन–चार पट्टे ग्राम पंचायत से प्राप्त कर रखे है, ग्राम पंचायत में गलत शपथ पत्र जो प्रश्नगत पट्टा प्राप्त किया है, वह अवैद्य व गलत है। विपक्षीगण के मिलीभगत कर ग्राम उमठी की सार्वजनिक उपयोग की नाडी जो जल संग्रहण की भूमि आराजी नं0 97 नाडी है, जहां प्रार्थी एवं समस्त ग्रामवासियों के मवेशी पानी पीने की भूमि को अवैद्य रूप से आराजी नं0 235/9 की भूमि बता विपक्षी सं0 2 के पक्ष में प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया है, जिससे प्रार्थी भी प्रभावित व पीड़ित पक्षकार है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी सं0 1 के द्वारा विपक्षी सं0 2 के पक्ष में जारी पट्टा क्रमांक 40, 20.12.2004 जो पत्रावली दायर संख्या 68 के जरिये जारी किया गया है, को निरस्त फरमाया जावे तथा ग्राम उमठी की आराजी नं0 97 किस्म नाडी की पूर्व स्थिति कायम कराई जावे।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल हाकिम चुड़ीघर उपस्थित किन्तु वक्त बहस अनुपस्थित तथा अप्रार्थी 02 संख्या की ओर से अधिवक्ता श्री दिग्विजय सिंह चुड़ावत द्वारा वकालतनामा पेश कर उपस्थित दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं ने मौखिक बहस न कर लिखित बहस पेश करने हेतु निवेदन किया किन्तु बार–बार न्यायालय द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु अवसर देने के उपरान्त भी उभयपक्ष के अधिवक्ताओं ने लिखित बहस प्रस्तुत नही की गई।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के लिखित बहस प्रस्तुत नही करने पर पत्रावली के गुणावगुण पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन

न्यायालय जिला कलक्टर

किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में निगराकार ने ग्राम पंचायत पीपलांत्री द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अर्न्तगत बने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमो के तहत श्रीमती रतन कंवर पुत्री चतरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 40 दिनांक 20.12.2004 के विरूद्ध निगरानी याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की है कि ग्राम पंचायत पीपलांत्री ने ग्राम उमठी के आराजी नम्बर 97 किस्म नाडी की भूमि को गलत रूप से आराजी नम्बर 235/9 की भूमि बताते हुए प्रश्नगत पट्टा जारी किया।

निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी एवं संलग्न समस्त दस्तावेजो का गहराई से अध्ययन किया। ग्राम पंचायत पीपलांत्री की पट्टा पत्रावली के अवलोकन पाया कि विपक्षी श्रीमती रतन कंवर पुत्री चतरसिंह द्वारा ग्राम उमठी की आबादी भूमि आराजी नम्बर 235/9 में अपने पुराने गृह की भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत पीपलांत्री के समक्ष नोटेरीशुदा शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत पीपलांत्री द्वारा विधिवत् पत्रावली संधारित की गई। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार आपत्ति आहवान पत्र जारी किया जाकर विपक्षी के कब्जेशुदा भूखण्ड का पंचो की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया व मौतबिरान के बयान लिए गए तत्पश्चात पंचातय कौरम में प्रस्ताव लिया जाकर विपक्षी श्रीमती रतन कंवर पुत्री चतरसिंह के पक्ष में आवासीय भूखण्ड का तथाकथित पट्टा जारी किया गया। पट्टे में यह वर्णित किया गया कि उक्त भूखण्ड ग्राम उमठी के आराजी नम्बर 235/9 में स्थित हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने बाबत प्रेषित पत्रावली में सभी प्रक्रियाओं की पालना किया जाना पाया गया। निगराकार द्वारा अपनी निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को सिद्ध करने का दायित्व अधिवक्ता निगराकार का था परन्तु अधिवक्ता निगराकर द्वारा निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों के समर्थन में कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत पट्टा लगभग 20 वर्ष पूर्व जारी किया गया था तथा 20 वर्षो के असाधारण विलम्ब के लिए भी निगराकार द्वारा कोई साक्ष्य/आधार प्रस्तुत नही किये। अतः निगराकर द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

**:: आदेश ::**

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आधारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती हैं।

13/1/25

**(बाल मुकुन्द असावा)**
**जिला कलक्टर**
**राजसमंद**

**निर्णय आज दिनांकः 13.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

**(बाल मुकुन्द असावा)**
**जिला कलक्टर**
**राजसमंद**